सड़क लूट और मारपीट के शिकार संजू उरांव की इलाज के दौरान मौत

● शव रखकर 4 घंटे तक इंडो-नेपाल सैनिक रोड जाम ● एसडीपीओ सत्येंद्र राम के त्वरित आश्वासन और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद हटा जाम

बगहा (आससे)। सौराहा सैनिक रोड पर लूटपाट का विरोध करने पर बेरहमी से पीटने और साढ़े 5लाख नकद लूटने का था आरोप चिउटाहा थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी जिले के चिउटाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर-सौराहा इंडो-नेपाल सैनिक रोड पर लूटपाट और मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर लगभग 3 से 4 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। रामनगर एसडीपीओ के त्वरित आश्वासन और मामले में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जाम समाप्त हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोबर्धना थाना क्षेत्र अंतर्गत गुदगुदी निवासी संजू उरांव बताया गया है) गत 25 अक्टूबर 2026 (रविवार) की शाम करीब 7:00 बजे बलुआ से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान लक्ष्मीपुर-सौराहा सैनिक रोड पर पोखरा के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोककर घेर लिया और उनके साथ लूटपाट करने लगे।

जब इसका विरोध किया गया, तो आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस दौरान उनके साथ मौजूद साला डरकर मौके से भाग निकला। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी जेब से 5,50,000 रुपए (पांच लाख पचास हजार रुपए) नकद लूट लिए और उन्हें अधमरी हालत में सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। कई अस्पतालों में चला इलाज, पटना में हुई मौत। घटना के बाद परिजन उन्हें पहले प्राथमिक उपचार के लिए हरनाटाड़ अस्पताल ले गए। वहाँ से बेहतर इलाज के लिए उन्हें गोरखपुर स्थित 'चंद्र लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल' ले जाया गया। हालत अधिक गंभीर होने पर उन्हें बगहा अनुमंडल अस्पताल, फिर जी.एम.सी.एच. बेतिया और अंततः पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के क्रम में ही पटना में उनकी मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है और पत्नी



तुरिया देवी व अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी तुरिया देवी द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के आधार पर लक्ष्मीपुर-सौराहा निवासी विंध्याचल राम, जगलाल राम, बिंदु देवी, खुर्मी देवी और शारदा महतो सहित 3-4 अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बुधवार को चिउटाहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर इंडो-नेपाल सैनिक रोड पर शव रखकर प्रदर्शन किया और टायर जलाकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया। वे सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। मौके पर चिउटाहा, गोबर्धना और सेमरा थाने की पुलिस पहुँची। स्थिति की गं।भीरता को देखते हुए रामनगर एसडीपीओ सत्येंद्र राम घटनास्थल पर पहुँचे। उनके साथ गुदगुदी पंचायत के मुखिया प्रमोद ठाकुर, ढोलबाजवा लक्ष्मीपुर पंचायत के पूर्व मुखिया नरेश उरांव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य अरविंद उरांव, शशि उरांव, दूधनाथ उरांव समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। एसडीपीओ सत्येंद्र राम ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराते हुए त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिउटाहा थाना कांड संख्या- 82/26, दिनांक 28/10/2026, भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं (जैसे 126(2), 115(2), 118(1), 103(1), 303(2), 3(5)) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी। प्रशासन के ठोस आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया और यातायात बहाल हुआ ।वहीं रामनगर एसडीपीओ सत्येंद्र राम के अलावा, इंस्पेक्टर योगेन्द्र कुमार, चिउटाहा थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार, गोवर्धना थाना अध्यक्ष जयकुमार, सेमरा थाना अध्यक्ष पवन कुमार, एस आई जय नारायण राव आदि अन्य पुलिस पदाधिकारी तथा भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे।

दीपावली एवं छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट

खतरनाक घाटों की पहचान कर बैरिकेडिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश

बेतिया। दीपावली एवं छठ महापर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधि-व्यवस्था संधारण, सुरक्षा व्यवस्था एवं पर्व के दौरान आमजन की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी श्री तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को सजग, सतर्क एवं पूरी तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्व के दौरान सुरक्षा, विधि-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं आमजन की सुविधा से जुड़े सभी इंतजाम समय पर सुनिश्चित किए जाएं। दीपावली के मद्देनजर सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को पटाखों की दुकानों तथा भंडारण स्थलों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा मानकों का अनुपालन कराने को कहा गया।

Govt. of Bihar

Public Health Engineering Department

Public Health Engineering Division, Biharsharif

SHORT TERM TENDER NIT No –15 /DB&OM(Retender)

National Competitive Bidding

(Through e-procurement mode on www.eproc2.bihar.gov.in)

1	Designation and Address of Advertiser	Executive Engineer, P. H. Division, Biharsharif
2	Date of issue of Tender Notice	26.10.2026
3	Period of sale (downloading) of tender Bid Document	09.11.2026 to 14.11.2026 up to 15:00 Hrs. through www.eproc2.bihar.gov.in
4	Date, time & place of pre-bid meeting	13.11.2026 at 12:00 hrs in the Office of Executive Engineer of concerned P. H. Division
5	Last date and time of receipt (uploading) of tender	17.11.2026 up to 15:00Hrs on www.eproc2.bihar.gov.in
6	Date and time of opening of technical bid	17.11.2026 at 15:30Hrs on www.eproc2.bihar.gov.in
7	Date and time of opening of financial bid	To be informed later after the approval of technical bid.

8. Details of works:

Group No	Name of Work	Estimated Cost (in Lakh)	Amount of Earnest Money (in Lakh)	Cost of Tender Document (non-refundable) in Rs.	BSEDC Bid Processing Fee (in Rs.)	Completion Period (in months)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Scheme for strengthen of Bhui SVS & 3 WLS Scheme (ward no. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,&11) in Bhui Panchayat of using treated water of Silao MVS Phase-1 under P.H. Division, Biharsharif	487.587	9.752	10000.00	5900.00	6

For further details please visit : **www.state.bihar.gov.in/prdbihar**

Executive Engineer

Public Health Division, Biharsharif

PR- 014346 (PHED) 2026-27

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

प्रदेश में मजदूरी करने गये युवक की मौत

परिजनों ने सरकार से लगायी आर्थिक सहायता की गुहार

योगापट्टी। योगापट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज चौमुखा के भटवलिया गांव, वार्ड संख्या 14 निवासी 21 वर्षीय पप्पू यादव की चंडीगढ़ में छत से गिरने से मौत हो गई। इस घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है। बेटे की असमय मौत से माता-पिता का बुढ़ापे का सहारा छिन गया है, वहीं तीन बहनों के इकलौते भाई के चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार, पप्पू यादव पिता हरि यादव रोजगार की तलाश में चार-पांच दिन पहले ही बिहार से चंडीगढ़ कमाने गए थे। बताया जाता है कि काम पर जाने से पहले वह अपने कमरे की छत पर गए थे। इसी दौरान पैर फिसलने से वह अचानक नीचे गिर गए। हादसे में उनकी मौत हो गई। महज 21 वर्ष की उम्र में पप्पू की मौत से गांव में भी शोक का माहौल है। पप्पू अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले बेटे थे। उनकी तीन बहनें हैं, जिनमें दो की शादी हो चुकी है, जबकि एक बहन की शादी अभी बाकी है। परिवार को उम्मीद थी कि पप्पू मेहनत-मजदूरी कर माता-पिता का सहारा बनेंगे और बहन की शादी की जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन इस हादसे ने परिवार की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया ।इस घटना के बाद मुखिया प्रत्याशी श्याम नंदन ठाकुर और परिजनों ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार और प्रशासन से नियमानुसार आर्थिक सहायता एवं उचित मुआवजा देने की मांग किया है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार को सहारे की जरूरत है ।घटना ने एक बार फिर दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले युवाओं की मुश्किलों को सामने ला दिया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग किया है।

पुलिसकर्मी बनकर उचक्कों ने अधेड़ से ठगे 28 हजार रुपये

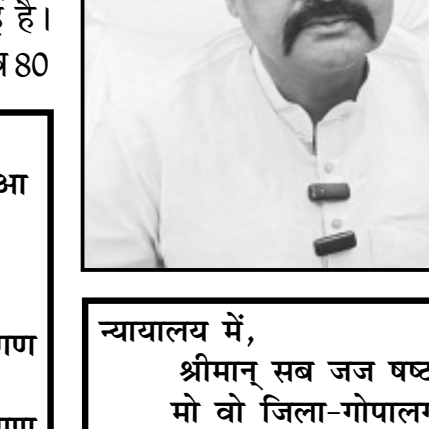
सेंट्रल बैंक से पैसा निकालकर साइकिल से घर जा रहे थे इस्लाम मियां

लौरिया(संवाद सूत्र)। लौरिया रामनगर मुख्य मार्ग पर कंधवलिया स्थित सेंट्रल बैंक से रुपये निकालकर घर जा रहे एक अधेड़ व्यक्ति से उचक्कों ने पुलिसकर्मी बनकर 28 हजार रुपये ठग लिए। घटना मंगलवार को हुई। पीड़ित की पहचान धोबनी पंचायत के लिपनी गांव के वार्ड संख्या 15 निवासी रहमान मियां के पुत्र इस्लाम मियां (55 वर्ष) के रूप में हुई है। पीड़ित इस्लाम मियां ने बताया कि वह मंगलवार को कंधवलिया स्थित सेंट्रल बैंक से रुपये निकालने गए थे। दिन में करीब 11-15 बजे उन्होंने बैंक से 28 हजार रुपये निकाले और साइकिल से अपने घर जाने लगे। दोपहर करीब 12 बजे पेट्रोल पंप से कुछ पहले पीछे से बाइक पर सवार दो लोग उनके पास पहुंचे। दोनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उनसे पूछा कि क्या वह इस्लाम मियां हैं। उनके हां कहने पर दोनों ने कहा कि उन्होंने बैंक से 28 हजार रुपये निकाले हैं। इसके बाद दोनों ने उनसे रुपये निकालकर दिखाने को कहा। इस्लाम मियां ने जब रुपये निकाले तो आरोपितों ने उन्हें पैसे देने और बैंक चलने को कहा। पीड़ित ने उनके कहने पर रुपये दे दिए और बैंक पहुंच गए। हालांकि, वहां पहुंचने पर दोनों का कोई पता नहीं चला। तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इस संबंध में थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने बताया कि ठगी की घटना हुई है, लेकिन पीड़ित की ओर से अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है। इसके बावजूद पुलिस मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

गंडक से गाद निकासी और 80 किमी तटबंध निर्माण को मंजूरी

●विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने दी जानकारी ● किसानों के खाते में भेजे गये गन्ना बीज अनुदान के 3.07 करोड़ रुपये

बगहा (आससे)। गंडक नदी से बाढ़ के खतरे को कम करने और तटबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में पहल की गई है। नदी से गाद निकालने की योजना को सरकार की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही वाल्मीकिनगर से करीब 80 किलोमीटर तक तटबंध निर्माण की योजना को भी मंजूरी मिली है। बुधवार को नगर के गांधीनगर स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगहा विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने यह जानकारी दी। विधायक ने बताया कि गंडक नदी में प्रत्येक वर्ष जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस समस्या से निपटने के लिए नदी से गाद निकालने की योजना तैयार की गई है। जल्द ही इस दिशा में काम शुरू करने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि गंडक नदी के किनारे तटबंधों को स्थायी रूप से मजबूत करने के लिए वाल्मीकिनगर से करीब 80 किलोमीटर तक तटबंध निर्माण की योजना को भी स्वीकृति मिली है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से बाढ़ के दौरान तटबंधों की सुरक्षा मजबूत होने और प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गन्ना बीज अनुदान मद में करीब 3 करोड़ 7 लाख रुपये किसानों के बैंक खातों में भेज दिए गए हैं। इससे अनुदान के पात्र किसानों को लाभ मिलेगा। विधायक ने कहा कि किसानों को गन्ने के मूल्य में वृद्धि का लाभ दिलाने के लिए भी सरकार से मांग की गई है। इस पर सरकार की ओर से विचार करने का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान और किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रयास जारी रहेंगे। गंडक नदी से गाद निकासी, तटबंध निर्माण और कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता है।



न्यायालय में,

श्रीमान् सबजज साहब-02, हथुआ अनुमंडल, मोकाम वो जिला-गोपालगंज

मोकदमा नं.-151/2026

अरविन्द पटेल वोगैरह..........वादीगण

बनाम

ललन पटेल वोगैरह........प्रतिवादीगण

नोटिस बनामः-

1) ललन पटेल, उम्र करी 70 वर्ष, वल्द स्व. भृगुराशन पटेल 2) राजेंद्र पटेल, उम्र करीब 65 वर्ष, वलद स्व. मुनी पटेल 3) चंद्रदेव पटेल, उम्र करीब 60 वर्ष, वल्द स्व. मुनी पटेल 4) सदावृक्ष पटेल, उम्र करीब 40 वर्ष, वल्द स्व. जंगली पटेल 5) सीटू पटेल उम्र करी-10 वर्ष वल्द-स्व. अाीमन्यु पटेल 6) बिट्टु पटेल, उम्र करीब 15 वर्ष, वल्द स्व. अभिमनु पटेल, दोनों गार्जियन माता मुसमात ममता देवी, जौजे स्व. अभिमनयु पटेल 7) मुसमात ममता देवी, उम्र करीब-35 वर्श जौजे स्व. अाीमन्यु पटेल. ....प्रतिवादी फरीक-1 8) गौरीशंकर पटेल, उम्र करीब 70 वर्ष, वल्द स्व. नथुनी पटेल 9) रामाशंकर पटेल, उम्र करीब 65 वर्ष, वल्द स्व. नथुनी पटेल 10) सुग्रीव पटेल, उम्र करीब 60 वर्ष, वल्द स्व. नथुनी पटेल 11) रामजनक पटेल, उम्र करीब 55 वर्ष, वल्द स्व. ब्रहमचारी पटेल 12) रामाश्रय पटेल उम्र करीब-60 वर्ष वल्द-स्व ब्रहमचारी पटेल 13) संतोष पटेल, उम्र करीब 35 वर्ष, वल्द स्व. कैलाश पटेल 14) वृजानन्द पटेल, उम्र करीब 40 वर्ष, वल्द स्व. कैलाश पटेल 15) पारस पटेल, उम्र करीब 50 वर्ष, वल्द स्व. योद्धा पटेली.........प्रतिवादी फरीक-2 16) हरेन्द्र पटेल, उम्र करीब 45 वर्ष, वल्द स्व. राजकिशोर पटेल 17) बलिन्दर पटेल, उम्र करीब 43 वर्ष, वल्द स्व. राजकिशोर पटेल 18) योगेन्द्र पटेल, उम्र करीब 40 वर्ष, वल्द स्व. राजकिशोर पटेल 19) सुविंदर पटेल, उम्र करीब 38 वर्ष, वल्द स्व. राजकिशोर पटेल 20) सिकंदर पटेल, उम्र करीब 35 वर्ष, वल्द स्व. चनेसरी पटेल 21) पंचा पटेल, उम्र करीब 55 वर्ष, वल्द स्व. भरदुली पटेल 22) जयप्रकाश पटेल, उम्र करीब 50 वर्ष, वल्द स्व. भारदुली पटेल, सभी साकिनान मौजा डुमरिया, पोस्अ-गिना दुबे, थाना-ाोरे, जिला-गोपालगंज......... ....प्रतिवादी फरीक-3

चूं, उपरोक्त वादीगण ने आपके खिलाफ उक्त वाद दाखिल किया है, जिसमें आपके ऊपर नोटिस वो रजिस्टर्ड कीार के ,ारा सम्मन की पैरवी करने के बावजूद आप मेरे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः वजरिये इस प्रकाशन से आपलोगों को आगाह किया जाता है कि आप दिनांक 26.11.26 को मेरे न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर उचित पैरवी करें अन्यथा आपके खिलापु एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

इसे सख्त ताकिद जानें।

जारी दिनांक 29.9.26

श्रीमान् सबजज साहब-02 हथुआ अनुमंडल मोकाम वो जिला-गोपालगंज

9/614/26

न्यायालय में,

श्रीमान् सब जज षष्टम मो वो जिला-गोपालगंज

बंटवारा वाद सं.-214/2026

केशव सिंह वो.................मुदईयान

बनाम

गणेश सिंह वो...................मुदालहम

नोटिस बनामः-

1. गणेश सिंह वल्द स्व. भागवत सिंह 2. उमेश सिंह वल्द स्व. भागवत सिंह 3. बृजकिशोर सिंह वल्द स्व. रमेश सिंह 4. मुन्ना सिंह वल्द स्व. रमेश सिंह 5. नन्दकिशोर सिंह उर्फ राजकिशोर सिंह वल्द स्व. रमेश सिंह 6. रतिकान्त सिंह वल्द स्व. रमेश सिंह 7. मिना देवी पति भोला सिह, पुत्री स्व. रमेश सिह ग्राम-मंगुरहा, थाना-जादोपुर, पो.-नवादा, जिला-गोपालगंज 8. उषा देवी पति शम्भु सिह पुत्री स्व. भागवत सिंह निवासी ग्राम-बासोपाली, थाना-सिवान, पोस्ट-बासोपाली, जिला-सिवान 9. अनिला देवी पति दया सिंह पुत्री स्व. भागवत सिह निवासी ग्राम-सरावेव, पोस्ट-सिवान, जिला-सिवान............प्रतिवादी फरीक-1 10. विनय सिह वल्द स्व. रामायण सिंह 11. मुन्ना कुंवर पत्नी स्व. शत्रुधन सिंह 12. चंदन कुमार पुत्री स्व. शत्रुधन सिंह. ....प्रतिवादी फरीक-2, सभी प्रतिवादीगण हाल मोकाम-परसौनी, थाना-सिधवलिया, पोस्ट-बतरदेह, जिला-गोपालगंज 13. बंका महतो वल्द स्व. चन्द्रिका महतो 14. कमला सिंह वल्द स्व. जूगुल सिंह 15. प्रमिला देवी जौजे हरेन्द्र सिंह 16. वशिष्ट सिंह पुत्र दुर्गा सिंह, ग्राम-परसौनी, थाना-सिधवलिया, पोस्ट-बतरदेह, जिला-गोपालगंज 17. पप्पू पाण्डेय वल्द विरेन्द्र पाण्डेय 18. शशिभूषण पाण्डेय वल्द सुरेन्द्र पाण्डेय, साकिन+पो.-सदौवा, थाना-सिधवलिया, जिला-गोपालगंज 19. मेहदी हसन वल्द गुल महमद मियां साकिन-रामपुर, पोस्ट-सदौआ, थाना-सिधवलिया, जिला-गोपालगंज.......प्रतिवादी फरीक-3

चूं वजरिये प्रकाशन नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वादीगण ने मेरे न्यायालय में उक्त बंटवारा वाद दाखिल किया है, जिसमें आपलोगों की उपस्थिति हेतु न्यायालय के नजारत से समन वो भारतीय डाक से रजि. नोटिस पूर्व में भेजा जा चुका है। बावजूद इसके आप उक्त मोकदमा में हाजिर नहीं हो रहे हैं। अतः एतद् द्वारा आपको आगाह किया जाता है कि आपलोग स्वयं या अपने अधिवक्ता के मार्फत उक्त मोकदमा में दिनांक 26.11.26 को मेरे न्यायालय में हाजिर होकर अपना उचित पैरवी करें, अन्यथा आपके खिलाफ एकपक्षीय सुनवाई की जायेगी।

आज तारीख 7 माह 10 सन् 2026 को यह नोटिस मेरे दस्तखत वो अदालत के मोहर के साथ जारी की गई है।

इसे सख्त ताकिद समझें।

आदेशानुसार

श्रीमान् सब जज-षष्टम मो. वो जिला-गोपालगंज

9/614/26

न्यायालय में,

श्रीमान् अवर न्यायाधीश-1 मो.+जिला-गोपालगंज

P.S. No.-157/2026

दरोगा यादव वो...................वादीगण

बनाम

भूसी यादव वो...............प्रतिवादीगण

नोटिस बनामः-

1. भूसी यादव पिता स्व. यदु यादव सा. -विशुनपुर पूर्वी, थाना-जादोपुर, जिला-गोपालगंज.............................प्रतिवादी

चूं वजरिये सम्मन एवं रजिस्ट्री कभर तामिला के बावजूद आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

अतः इस प्रकाशन के माध्यम से आपको आगाह किया जाता है कि आप दि. 03. 11.2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद में उचित पैरवी करें अन्यथा आपके विरुद्ध आपकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय कारवाई की जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

अवर न्यायाधीश-1 जिला-गोपालगंज

9/600/26

न्यायालय में,

श्रीमान् सबजज साहब-XIV

बंटवारा सं.-312/2025

रामलाल भगत वोगैरह.......वादीगण

बनाम

भुखल भगत वोगैरह........प्रतिवादीगण

नोटिस बनामः-

1) भुखल भगत, वल्द-स्व. शिवमंगल भगत 2) विरेन्द्र भगत, वल्द स्व. नवरंगी भगत 3) अरविन्द भगत, वल्द स्व. नवरंगी भगत, साभी साकिन-बडहरा, पोस्ट-गोपालपुर, थाना-गोपालपुर, जिला-गोपालगंज..............प्रतिवादीगण

चूं, उपरोक्त वादी ने आपके विरुद्ध उक्त वाद दाखिल किया है, जिसमें आपके ऊपर नोटिस वो रजिस्टर्ड कभर के द्वारा सम्मन की पैरवी करने के बावजूद आप मेरे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः वजरिये इस प्रकाशन से आपलोगों को आगाह किया जाता है कि आप दिनांक 30.10.26 को मेरे न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर उचित पैरवी करें अन्यथा आपके खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

इसे सख्त ताकिद जानें।

जारी दिनांक 12.5.26

श्रीमान् सबजज साहब-XIV मोकाम वो जिला गोपालगंज

9/614/26

वारंटी की घर की हुई कुर्की

लौरिया(संवाद सूत्र)। थाना क्षेत्र के कटैया पंचायत में स्थानीय थाना ने पॉक्सो न्यायालय (बेतिया) द्वारा पारित आदेश के आलोक में पश्चिम फुलवरिया निवासी हीरा साह के पुत्र धनराज साह के इट एस्बेस्टस से बने घर को कुर्क किया। साथ ही कुर्क किये गए घरेलू सामानों को पुलिस थाने ले आई। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने बताया कि लौरिया थाना कांड संख्या 287/ 26 के तहत पॉक्सो अधिनियम दर्ज हुआ था। जिसके प्राथमिकी अभियुक्त (अपहरण कर्ता) धनराज साह पिता हीरा साह ग्राम कटैया पश्चिम फुलवरिया के घर मे पाए गए घरेलू सामान हैंड पम्प, चचरा, गेट का पल्ला टेबुल, लोटा बाल्टी सहित अन्य घरेलू सामान कुल अदद 23 समान जप्त कर अनुसंधान कर्ता दरोगा प्रियंका रंजना द्वारा दल बल के साथ कुर्क कर थाना लाया गया। जिसे थाने के मालखाना में सुरक्षित रखा गया है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मजिस्ट्रेट के रूप में अंचलाधिकारी आसू रंजन मौजूद रहे। विदित हो कि कांड के प्राथमिकी अभियुक्त धनराज साह लागतार अपने घर से फरार चल रहे थे और पुलिसिया पहुंच से दूर थे। जिसके आलोक में न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए त्वरित करवाई कर कुर्की जप्ती का आदेश जारी किया।

बिहार सरकार

वैशाली भवन प्रमण्डल, हाजीपुर

केवल ई0 निविदा द्वितीय पद्धति के अनुसार बेबसाईट एवं www.eproc2.bihar.gov.in पर

अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या :-10/2026-27

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, वैशाली भवन प्रमण्डल, हाजीपुर।
2. निविदा आमंत्रण की तिथि :- 23.10.2026
3. परिमाण विपत्र (डाउनलोड करने) एवं निविदा जमा करने (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक-03.11.2026 से दिनांक-25.11.2026 को 3:00 बजे अप0 तक
4. निविदा खोलने (तकनीकी बीड) की तिथि एवं समय :- दिनांक-26.11.2026 को 3:30 बजे अपराहन तक
5. वितीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी बीड मूल्यांकन के पश्चात
6. प्रीबीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान :- (1)दिनांक-12.11.2026 के 3:00 बजे अपराहन मे अधीक्षण अभियंता, का कार्यालय, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर।
7. परिमाण विपत्र की बिक्री स्थान :- वेबसाईट **www.eproc2.bihar.gov.in**
8. निविदा प्राप्ति का स्थान :- वेबसाईट **www.eproc2.bihar.gov.in**
9. निविदा वैधता की तिथि :- 120 दिन।
10. कार्य की विवरणीः-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 में)	ई-निविदा प्रोसेसिंग चार्ज का मूल्य(रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	नयी और पुरानी व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर के चारो तरफ Concertin Wire के साथ चहारदिवारी की उँचीकरण एवं संतरी पोस्ट का निर्माण कार्य।	51,12,750.00	1,02,300.00	10,000.00	eproc2 बेवसाईट के अनुसार	04 माह

11 इस निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र वेवसाइट पर www.eproc2.bihar.gov.in पर ही संसूचित किया जायेगा।

12. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार बेवसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी **Toll Free No. 18005726571** एवं **Email Id: eproc2support@bihar.gov.in** पर कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।

13. विस्तृत जानकारी हेतु **www.state.bihar.gov.in/prdbihar or www.eproc2.bihar.gov.in** पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता

वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर

PR- 014349 (BCD) 2026-27

उक्त सूचना **state.bihar.gov.in/prdbihar** से भी प्राप्त की जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

कृषि सांख्यिकी को लेकर प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला

फसल क्षेत्रफल, उपज दर और वर्षापात के आंकड़ों के संकलन पर दिया गया जोर

बगहा (संसू)। प्रखंड बगहा एक के सभागार भवन में बुधवार को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के नेतृत्व में कृषि सांख्यिकी वार्षिक प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया ।इस दौरान प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पूरन शर्मा, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी वाई विजेंद्र, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अभय मिश्रा सहित सांख्यिकी कर्मी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार आदि मौजूद थे ।कार्यशाला में कृषि सांख्यिकी से जुड़े विभिन्न कार्यों के निष्पादन, आंकड़ों के संकलन तथा फसल क्षेत्रफल एवं उपज दर के आकलन की प्रक्रिया की जानकारी अधिकारियों और कर्मियों को दी गई ।कार्यशाला में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी नंदलाल चौधरी ने कृषि सांख्यिकी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इससे संबंधित विभिन्न कार्यो को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न करने की जानकारी दी ।उन्होंने बताया कि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को राज्य कृषि सांख्यिकी



प्राधिकार (स्टेट एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी) घोषित किया गया है। इस दौरान फसल क्षेत्र सर्वेक्षण, भूमि उपयोग विवरणी, शुद्ध सिंचित विवरणी, मौसम सिंचित क्षेत्रफल विवरणी और प्रक्षेत्र मूल्य से संबंधित कार्यो पर विस्तार से चर्चा की गई।

युवा उत्सव में लोक कला का रंग, प्रतिभाओं ने बिखेरी चमक

व्यक्तित्व विकास का सबसे अच्छा माध्यम है कला : डीएम

बेतिया। कला न केवल हमारी संस्कृति और परंपराओं की पहचान है, बल्कि यह व्यक्तित्व विकास का भी सशक्त माध्यम है। कला के प्रति जितना अधिक जुड़ाव होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। कला मनुष्य को संवेदनशील बनाती है और उसकी रचनात्मक क्षमता को विकसित करती है। उक्त बातें जिलाधिकारी श्री तरनजोत सिंह ने स्थानीय ऑडिटोरियम में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पश्चिम चंपारण द्वारा आयोजित युवा उत्सव के दौरान प्रतिभागियों एवं दर्शकों को संबोधित करते हुए कहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी तरनजोत सिंह एवं उप विकास आयुक्त काजले वैभव नितिन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षुओं ने स्वागत गान एवं स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया। युवा उत्सव में जिले के प्रतिभावान युवाओं ने अपनी कला, रचनात्मकता और सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रदर्शन किया ।युवा उत्सव के दौरान लोकगीत, लोकनृत्य, चित्रकला, कविता लेखन एवं नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न विधाओं में प्रतिभागियों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। लोकगीत प्रतियोगिता में देवेंद्र यादव के समूह ने शानदार बांसुरी वादन और पारंपरिक गीत की प्रस्तुति से प्रथम स्थान प्राप्त किया। समूह ने अपने गायन के माध्यम से लोक संस्कृति की सुंदर छटा बिखेरी। वहीं, लोकनृत्य प्रतियोगिता में अर्पिता की टीम ने झिझिया एवं सामा-चकेवा जैसे पारंपरिक लोकनृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति देकर प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और बिहार की समृद्ध लोक परंपरा की जीवंत झलक पेश की। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने 'विकसित भारत' की थीम पर अपनी कल्पनाशीलता और कलात्मक प्रतिभा को रंगों के माध्यम से उकेरा।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) का कार्यालय

सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, वीरपुर

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या :-01SBD/2026-27

(राष्ट्रीय/राजकीय स्पर्द्धा)

(केवल -ई-टेन्डर पद्धति के अनुसार वेवसाईट www.eproc2.bihar.gov.inपर)

(प्रतिशत दर निविदा)

1- कार्य की विवरणी

क्र0	कार्य की विवरणी	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (लाख में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रूपये में)	बेल्ट्रॉन को देय प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यार्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय (रूपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	Repair and Maintenance work of the canal gates and other components of Mechanical Structures located at various points along the Western Koshi Main Canal 0.35km. and between the 0.4km. And 33.79 km. of the Western Koshi Main Canal (Nepal Portion) under the Jurisdiction of the Chief Engineer (Irrigation Creation), Darbhanga and the Irrigation Mechanical Division, Birpur.	495.23964	9.91	10,000.00	11,800.00	2 माह

2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि :- दिनांक 23.10.2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि :- दिनांक 17.11.2026 से 25.11.2026 के अपराहण 3.00 बजे तक। (www.eproc2.bihar.gov.in)
4. प्री-बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि :- दिनांक 23.11.2026 के 3.00 बजे अपराहन में, मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक), जल संसाधन विभाग, पटना।
5. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 25.11.2026 को समय 3.30 बजे अप0 तक (www.eproc2.bihar.gov.in)
6. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी बीड की स्वीकृति के बाद अलग से सूचना दी जायेगी। (www.eproc2.bihar.gov.in)
7. निविदा खोलने का स्थान :- (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
8. निविदा की वैधता अवधि :- 120 दिन
9. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक), सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, वीरपुर।
10. ई-निविदा मात्र (www.eproc2.bihar.gov.in) पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

PR. No. 014361 (WRD) 2026-27

कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक), सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, वीरपुर

Mob. No.-8210141033

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।